छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

एफआरए (FRA) टूल व वेब पोर्टल

वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावा प्रक्रिया के डेटा संग्रह के लिए एंड्रॉइड एप्लिकेशन

उपयोगकर्ता पुस्तिका

विषय–सूची

परिचय	3
वन अधिकार अधिनियम 2006	3
एफआरए टूल व वेब पोर्टल का परिचय	4
उपयोगकर्ता	4
टूल उपयोग के तरीके	4
एफआरए ऐप के लाभ	7

Published by:
Chhattisgarh Forest Department and
Foundation for Ecological Security (FES)

FRA Tool App Version 2.1
FRA User Manual Version 1
Year of Publication - 2022

General licensing
All content in the FRA User Manual, unless otherwise noted, is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License. The full text of this license is available at http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

परिचय

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1: है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21: है। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है।

राज्य के वनों को दो प्रमुख वर्गो में विभाजित किया गया है, यथा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन। वनों से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं ही, साथ ही वन–वासियों की आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ डेकन जैव क्षेत्र में आता हैं, तथा मध्य भारत के वन्य प्राणी जैसे बाघ (*Panthera tigris*), तेन्दुआ (*Panthera pardus*), गौर (*Bos gaurus*), सांभर (*Cervus unicolor*), चीतल (*Axis axis*), नील गाय (*Boselaphus tragocamelus*) एवं जंगली सुअर (*Sus scofa*) मुख्यतः पाये जाते हैं। दुर्लभ वन्य प्राणी जैसे वन भैंसा (*Bubalus bubalis*) तथा पहाड़ी मैना (*Gracula religiosa*), इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हैं जिन्हें क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है तथा साल के वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।

राज्य के लगभग 50% गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आर्थिक रुप से पिछड़े आदिवासी हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। वानिकी कार्यों से प्रतिवर्ष लगभग 7 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। वनों से ग्रामीणों को प्रतिवर्ष लगभग 2,000 करोड़ रुपये का लघु वनोपज एवं अन्य निस्तार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के व्यापक एवं सर्वांगीण विकास के परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

वन अधिकार अधिनियम 2006

वन निवासी जनजातीय समुदायों की वनों पर निर्भरता होती है. वे सामाजिक, आर्थिक और परम्परागत रूप से वन और उनके उत्पादों पर निर्भर होते हैं–इसे ध्यान में रखते हुए भारत संविधान का अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता–एफआरए) अधिनियम, 2006 लागू हुआ।

एफआरए अधिनियम वन निवासी जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधन संबंधी उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए निर्भर रहते है, जिनमें आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक आवश्यकताएं शामिल होती हैं।

वन अधिकार अधिनियम के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत, ग्राम सभा को वन्य क्षेत्र के पास बसे गांवों की पारंपरिक सीमा के भीतर की वन भूमि और छोटे बड़े झाड़ के जंगल के दावे की प्रक्रिया कर, सरंक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का अधिकार है।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की प्रक्रिया में नोडल एजेंसी आदिवासी विकास विभाग है, लेकिन इसमें ग्राम सभा के द्वारा दावा प्रक्रिया को पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी वन विभाग के साथ ही राजस्व और पंचायत विभाग की भी है। ऐसी स्थित में पूरी प्रक्रिया के सबंधित आंकड़े और दस्तावेजों का

संकलन एक स्थान पर नहीं हो पाता है। चूँकि जमीनी स्तर की सारी प्रक्रिया में वन विभाग के अमले वन अधिकार समिति को सहयोग करते हैं, इसलिए वन अधिकारों से संबन्धित दस्तावेजों का संकलन और पूरी प्रक्रिया की प्रगति में विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।

इस प्रक्रिया की निगरानी और दस्तावेजों के संकलन सहित प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए एफआरए टूल तैयार किया गया हैद्य

एफआरए (FRA) टूल व वेब पोर्टल का परिचय

यह टूल जीपीएस सुविधा और सेटेलाइट चित्रों का उपयोग करके लोगों को दावों का दस्तावेजीकरण करने, प्रक्रिया में भाग लेने और पारदर्शी बनाने में सहायता प्रदान करता है।

टूल का उद्देश्य सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की प्रक्रिया को ग्राम सभा और वन अधिकार समिति के लिए, वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारियों और गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के सहयोग से,आसान करना है।

उपयोगकर्ता (USERS)
अवलोकन और क्रियान्वयन के लिए अलग–अलग अधिकार की जानकारी

- वनाधिकार समिति के सदस्य
- वन विभाग के स्थानीय कर्मचारी
- उपखंड स्तरीय समिति के सदस्य
- जिला स्तरीय समिति के सदस्य
- राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य
- अन्य सहयोगी संस्थाएं

टूल उपयोग के तरीके

एफआरए ऐप डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल के वेब ब्राउजर पर पोर्टल का यूआरएल, https%//fra-indiaobservatory-org-in टाइप करें और पोर्टल मे दिये हुये डाउनलोड लिंक से ऐप डाउनलोड करें।

चरण 1: जैसे ही एफआरए ऐप डाउनलोड हो जाएगा, वैसे ही आप नीचे दिए गए ओपन ऑप्शन को क्लिक करें, अब इंस्टॉलेशन के लिए सारे तय राइट्स देते हुए इनस्टॉल के बटन को दबाएँ, कुछ क्षण पश्चात इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अब ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें

चरण 2: ऐप ओपन होने के पश्चात यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्क्रीन पर खुल जायेगा। इस पर अपने व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला और आप किस संस्था धविभागध समिति से सम्बन्ध रखते है उसका नाम, भरकर नीचे दिए हुए एग्रीमेंट/ अनुबंध को जाँच करके सबमिट बटन दबाएं। यूजर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुइ। इस पृष्ठ पर आपके पास भाषा बदलने का विकल्प भी उपलब्ध है। अपनी सुविधानुसार भाषा चुन सकते हैं।

चरण 3: अब आपके समक्ष ऐप का मुख्य पष्ठ (Home screen) आ चुका है ,जहां आपको ऐप के मुख्य फी. चर्स के बारे में जानकारी उपलब्ध है, इन फीचर्स को एक–एक कर समझ लें, अब आप अपनी मोबाइल ऐप की स्क्रीन के ऊपरी दाएँ कोने में धन/प्लस का चिन्ह देख सकते है जो कि मेनू ऑप्शन है। इसे दबाने पर नीचे और विकल्प खुल जाते हैं। आपको ऐप गाइड मिल जाएगा, जिससे आप अन्य विकल्पों तक जा सकते हैं।

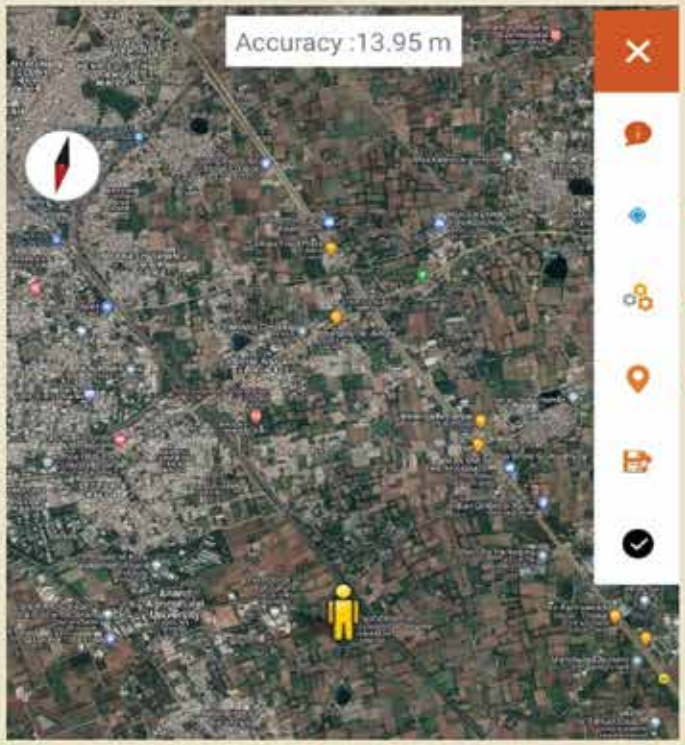

जीपीएस – इससे आप अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन या ऑफ कर सकते हैं।

सेटिंग्स – इसमें आप ऐप की भाषा बदल सकते हैं, अपडेटेड ऐप वर्शन देख सकते हैं, साथ ही ऐप के बारे में फीडबैक भी दे सकते है।

जिओपॉइन्ट – इसे चुनने पर आप डेटा कलेक्शन फॉर्म खुल जाता है, इससे वन अधिकार दावा प्रक्रिया के 12 स्टेप्स पूरे करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

चरण 4: जिओपॉइन्ट विकल्प को चुनने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक प्रश्नावली आयेगी। इसमें आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा। इसे एक–एक कर भरते जाए।

- डेटा कलेक्शन टाइपः
  - टेस्टिंग
  - ट्रेनिंग
  - एक्चुअल

चरण 5: कृपया एक्चुअल फॉर्म वाला ऑप्शन तभी प्रयोग करें जब आप सही डेटा एकत्रित कर रहे हो, टेस्टिंग तथा ट्रेनिंग ऑप्शन का उपयोग प्रक्रिया को समझने के लिए करें।

फॉर्म से डाटा कलेक्ट करने का तरीका जैसे :

- अब अपने राज्य का नाम चुने,
- फिर जिले का नाम चुने,
- इसके बाद ब्लॉक का नाम चुने,
- अब गांव का नाम चुने

चरण 6: अगला प्रश्न है फॉर्म के चुनाव का, यह भाग सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ आप सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की प्रक्रिया को चरण अनुसार देख सकेंगे।

प्रक्रिया चरण 6.1: इसमें पहला चरण है सीएफआर दावा प्रक्रिया शुरू करने के लिए ग्राम पंचायत के साथ बैठक की तैयारी। इसके चुनाव के पश्चात् तारीख चुन लें। अब सीएफआर की बैठक का कार्यवाही विवरण जिसमे सरपंच की मुहर और हस्ताक्षर हो, उसका फोटो ऐड करें. अब इस फॉर्म को सेव कर ले और OK का बटन दबा दे।

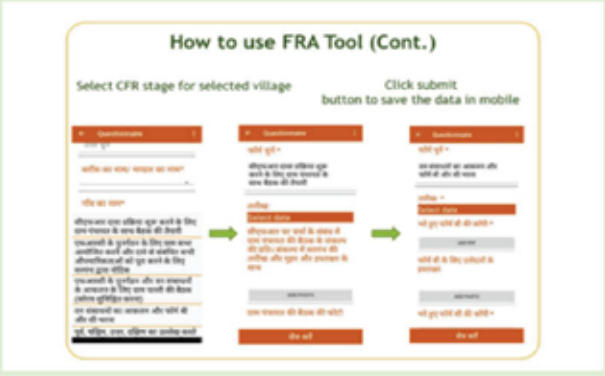

प्रक्रिया चरण 6.2: इस प्रक्रिया का दूसरा चरण है एफआरसी के पुनर्गठन के लिए ग्राम सभा आयोजित करना और सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सरपंच द्वारा नोटिस। इस फॉर्म में भी आपको प्राथमिक जानकारी, जो आपने पहले चरण के दौरान भरी थी, जैसे डेटा कलेक्शन टाइप, राज्य, जिला, ब्लॉक, और गांव के नाम भरना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म में दूसरे विकल्प को चुनना होगा। इसके पश्चात तारीख तथा बैठक का नोटिस जिसमे सरपंच के हस्ताक्षर और मुहर हो, उसका फोटो अपलोड करना होगा। आखिर में सेव का बटन दबाने से दूसरे चरण का फॉर्म सेव हो जायेगा।

प्रक्रिया चरण 6.3: जैसे जैसे सीएफआर दावा की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, आपको अगले चरण के फॉर्म्स को भरते जाना है।

प्रक्रिया चरण 6.4: अगला विकल्प है सेव्ड फॉर्म्स–इस विकल्प के चुनाव करने पर आपके द्वारा जुटाए हुए सारे सेव्ड फॉर्म्स दिखेंगे। इन फॉर्म्स को चेक करके अपलोड बटन दबाएं।

प्रक्रिया चरण 6.5: अगला विकल्प है synced फॉर्म्स–यहाँ सारे synced फॉर्म्स दिखेंगे। इन फॉर्म्स को जाँच कर अपलोड बटन दबाएं और आपके फॉर्म्स पोर्टल पर अपलोड हो जायेंगे। पोर्टल के लॉगिन डि. टेल्स और लिंक नीचे दिये हुए है। इस लिंक को क्लिक करने पर आपके मोबाइल ब्राउजर में पोर्टल पर ले जाया जायेगा। यहाँ आप डिटेल्स भर के लॉगिन कर लीजिए।

प्रक्रिया चरण 6.6: अब आप पोर्टल का मुख्य पृष्ठ देख सकते है। इस पृष्ठ पर आप कई प्रकार के आंकड़े देख सकेंगे, जैसे ऐप डाउनलोड तथा कुल फॉर्म्स की संख्या। इस स्क्रीन की बाई ओर आपको सर्वे फॉर्म्स का विकल्प दिखेगा। इसमें जा कर आप अपने synced फॉर्म की जानकारी विस्तार से प्राप्त कर पाएंगे।

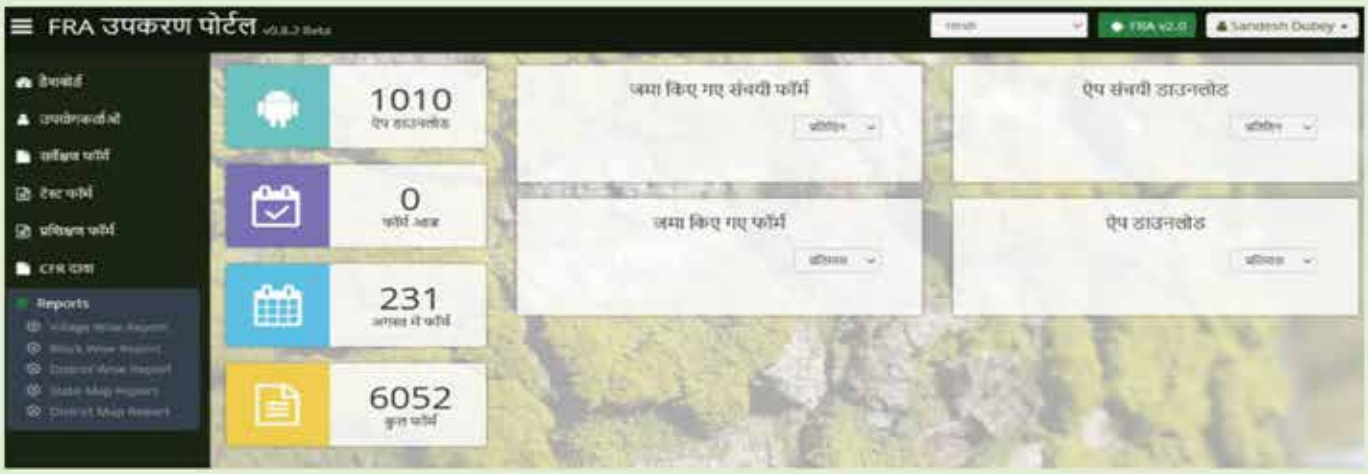

एफआरए (FRA) ऐप के लाभ

- दावा प्रक्रिया को सुविधाजनक और डिजिटल बनाने में सहायक सहायक।
- वनवासी समुदायों को दावा प्रक्रिया के दस्तावेज से संबन्धित के लिए ठोस सबूत इकट्ठा करने में सहायक।
- राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, समाजसेवी संस्थाओं आदि के सहयोग एवं निगरानी में भी उपयोगी आंकड़े रखने में सहायक।
- इसके माध्यम से आंकड़ों और जानकारी की सुरक्षा और व्यवस्था आसान हो जाती है।

छत्तीसगढ़ शासन

FES

FOUNDATION FOR ECOLOGICAL SECURITY